रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1973/पौष 1, 1895
No. 444] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1973/PAUSA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December 1973

S.O. 792(E).—The Central Government, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Madhya Pradesh Stock Exchange Indore (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange under section 4 of the said Act for a further period of five years commencing on the 24th December, 1973 and ending with the 23rd December, 1978, in respect of contracts in securities, subject to the condition stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter:

CONDITION

Dealings shall not be permitted on the Exchange except for spot delivery and for delivery and payment within a period not exceeding 14 days following the date of the contract.

[No. F. 1/15/SE/73]
R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1973

का० आ० 792 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 7 के साथ पठित, प्रतिभूति संविदा (विनियमन), अधिनियम, 1956 (1956 का 42वां) की धारा 3 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश स्टाक एक्सचेज इंदौर (जिसे बाद में एक्सचेंज कहा गया है) द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि ऐसा करना व्यापार तथा लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक्सचेंज को 24 दिसम्बर, 1973 से शुरू होने वाली और 23 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अग्रेतर अवधि के लिये, प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबंध में, नीचे दी गयी शर्तोंऔर इसके पश्चात्वाली निर्धारित की जाने वाली अथवा लगाई जाने वाली शर्तों के साथ मान्यता प्रदान करती है।

शर्तें

एक्सचेंज में कारबार की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु हाजिर सुपुदगी तथा संविदा की तारीख के बाद 14 दिन के अन्दर-अन्दर सुपुर्दगी और अदायगी की अनुमति होगी।

[सं० एफ० 1/15/एस० ई०/73]

रणजीतमल भंडारी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973